तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9/11/2022

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 संपठित धारा 151 सी. पी. सी पर बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार निवेदन किया कि रेस्पोडेण्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 संपठित धारा 151 सी. पी. सी. का रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 को अपास्त किये जाने हेतु पेश किया गया था। जिसमें बाद सुनवाई रेस्पोडेण्ट का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 संपठित धारा 151 सी पी सी को स्वीकार कर, रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 10.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश एवं प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं सशोधित डिक्री दिनांक 14.10.2019 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 संपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 01(क) में वर्णितानुसार आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने का आदेश पारित होने की स्थिति में ही अपील पेश किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश की अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना उक्त कानून के विपरीत होने से उपरोक्त अपील पोषणीय नहीं है, इसलिए आवेदन स्वीकार करने का निवेदन करते हुए अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित अनुसार निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 संपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया गया है, के विरूद्ध माफिक कानून धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील किये जाने का ही प्रावधान है जो किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है। रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– 2020 RBJ 688, 2020 RBJ 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ता... में ज... हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब एवं बहस से यह स्वीकृत स्थिति है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 135/2013 बउनवान भंवरू बनाम हरदीनराम उर्फ हरिया निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 को अपास्त करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2022 को रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 20.05.2016 को अपास्त करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की। प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 प्रस्तुत कर यह विधिक तथ्य रेखांकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के निर्णय की अपील पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में विधिक बिन्दु यह प्रकट होता है कि आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के निर्णय की अपील पोषनीय है या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 के प्रावधानुसार अपील पोषनीय नहीं है?

इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1 में उल्लेखित प्रावधान निम्न प्रकार है–

आदेशो की अपीलें– धारा 104 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी, अर्थात–

(क) वादपत्र के उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो,

(ग) वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया हो;

(घ) एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए(ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन के नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो;

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इससे स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के विरूद्ध ही अपील पोषणीय है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व संपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया है। जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। निर्णयानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली